(30)
328

सर्वोच्च प्राथमिकता

बिहार सरकार,
खाद्य, आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग ।

पत्रांक प्र6/विविध-30/2000-2433/आ0वा0, पटना-15, दिनांक 02 जून 2000ई0 ।

प्रेषक,

श्री एस0 के0 चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी/उपायुक्त ।

विषय:- भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत प्रायोजित अन्नपूर्णा योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत परिपत्र की प्रति भेजते हुए कहना है कि भारत सरकार शतप्रतिशत द्वारा प्रायोजित अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन के पात्र गरीब एवं असहाय वृद्ध व्यक्तियों की खाद्य सुरक्षा के लिए प्रति माह 10 किलो अनाज मुफ्त मुहैया करने की योजना है । इस योजना के अन्तर्गत वर्त्तमान राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन पानेवाले की निर्धारित संख्या का अधिकतम 20 प्रतिशत नये लोगों को चुनना है जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा है लेकिन वे वृद्धावस्था पेंशन के सभी योग्यता एवं पात्रता रखते हैं । लेकिन किसी भी परिस्थिति में वर्त्तमान में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन पानेवाले कुल व्यक्तियों की संख्या का 20 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत चयन नहीं करना है ।

2. आपके द्वारा प्राप्त लाभान्वितों की सूची के अनुसार ही भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत राशि मुहैया करायी जायेगी । बिहार राज्य के लिए यह राशि 29, 18, 63, 885=00रु0 प्रतिवर्ष आंकी गयी है । जिसमें आर्थिक मूल्य 10 प्रतिशत बिक्री कर तथा 50 पैसा प्रति किलो की दर से परिवहन खर्च भी सम्मिलित है । यह राशि प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा खाद्य आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग को एकमुश्त में उपलब्ध करायी जायेगी

कृ0पृ0उ0-2/-

(289)

भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर प्रत्येक जिलों को चयनित लाभान्वितों की संख्या के आधार पर अनुमानित राशि उपलब्ध करा दिया जायेगा इस पैसे से जिला पदाधिकारी भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न उठाकर वितरित करायेंगे ।

3. इसके अतिरिक्त इस योजना के प्राक्कलित व्यय का 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के रूप में राज्य सरकार को प्राप्त होगा जिसमें 3 प्रतिशत राज्य के सभी जिलों के बीच वितरित होगा तथा 1 प्रतिशत राज्य स्तर पर विशेष कार्य की छपाई एवं अन्य प्रशासनिक व्यय में खर्च होगा ।

4. बिहार के लिए इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वितों की अधिकतम मात्रा 2,21,540 रखा गया है जो वर्त्तमान में वृद्धावस्था पेंशन पानेवाले संख्या का 20 प्रतिशत होता है ।

5. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग को नोडल एजेन्सी तथा राज्य के अन्तर्गत इसके कार्यान्वयन का भार खाद्य आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग को सौंपा गया है । जिला स्तर पर इसके कार्यान्वयन के लिए जिला पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी नामित होंगे तथा इस योजना के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का दायित्व ग्राम पंचायत का होगा । ग्राम पंचायत के गठित नहीं होने की स्थिति में जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी/ संस्था इसका अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे ।

अतः इस योजना के प्रारम्भ करने की दिशा में पहला कदम भारत सरकार के परिपत्र में अंकित अनुदेशों के अनुसार लाभान्वितों की सूची पंचायत/ नगरपालिका/ग्राम सभी आदि के सहयोग से तैयार करना है । अतः आग्रह है कि भारत सरकार के पत्र में अंकित अनुदेशों के अनुसार लाभान्वितों की सूची 15 दिनों के अन्दर तैयार कराकर विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि पूरे राज्य का संकलित सूची भारत सरकार को अतिशीघ्र भेजा जा सके । जिसके आलोक में भारत सरकार प्राक्कलित व्यय की राशि उपलब्ध करा सके ।

कृपया इसे अतिआवश्यक समझते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता देने का कष्ट करें ।

विश्वासभाजन,

इन्द्र देव/-

19.5.2000

19.5.2000

सरकार के सचिव ।

19/5